सेवा में,

Date- 06 JUNE 2020

 FRIDAY

 श्रीमान खाध एवम उपभोगता सरक्षण विभाग पटना

बिषय- राशन कार्ड में नाम छूटने के सम्बन्ध में

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है की मै …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….के स्थायी निवासी हु. हम 5 परिवार है पिछले साल मैंने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था मेरा राशन कार्ड स्वीकृत कर लिया गया है और EPDS साईट पर अपलोड भी कर दिया गया है, लेकिन उस राशन कार्ड में 4 सदस्यों का ही नाम है जबकि मेरे परिवार में 5 सदस्य है जैसे की मैंने आपको बताया. आवेदन करते समय मैंने सारे सदस्य के नाम फोटो के साथ-साथ आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाया था. लेकिन EPDS साईट से राशन कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमे 4 सदस्यों का ही नाम दिखा रहा है और अभी तक मुझे राशन कार्ड भी नहीं मिला है और न ही राशन मिलता है. epds से डाउनलोड किये गए राशन कार्ड पर डीलर राशन नही देता है. कहता है की इसका आवटन मेरे पास अभी नही आया है. मैं इस एप्लीकेशन के साथ सभी जरुरी दस्वेज सग्लन कर रहा हु.

अतः श्रीमान से प्राथर्ना है की मेरे उक्त बातो पर ध्यान देते हुए मेरे राशन कार्ड में मेरे 1 सदस्य का नाम जोड़ने और राशन कार्ड के साथ राशन दिलाने का आसिम कृपा करे.

**राशन कार्ड नंबर-**

**छूटे हुए सदस्य का नाम**

आशिक कुमार पुरुष 12 साल पुत्र

**आधार नंबर**-

**संग्लन करने वाले दस्वेज का नाम**

आवेदन पत्र

राशन कार्ड की छायाप्रति

आधार कार्ड की छायाप्रति

आपका बिश्वासी

नाम-

पति-

ग्राम-

पोस्ट-

थाना-

मोबाइल नंबर